न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, अम्बेडकर नगर।

UPAN010006592026

Criminal Misc. Cases/30/2026

संजय बनाम प्रतीक पाण्डेय

थाना जहांगीरगंज
जपपद अम्बेडकर नगर

दिनाक 12.03.2026

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत् धारा–173(4) बी.एन.एस.एस पर उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. संक्षेप में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी संजय पुत्र स्व० संतराम निवासी ग्राम जल्लापुर थाना–जहांगीरगंज, जनपद अम्बेडकरनगर का रहने वाला अनुसूचित जाति (चमार) का शान्त स्वभाव का व्यक्ति है। प्रार्थी से विपक्षी प्रतीक पाण्डेय पुत्र नरेन्द्र देव पाण्डेय निवासी ग्राम खिदि्दरपुर, थाना जहांगीरगंज, जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा दिनाक 26–05–2025 को जमीन दिलाने के नाम पर मु0–50,000 रूपये फोन पे व लगभग 30,000 रूपये नकद लिया था और आज तक प्रतीक पाण्डेय द्वारा न तो जमीन दिलाया गया और न ही प्रार्थी द्वारा दिए गये रूपये ही वापस किया गया। दिनांक 25–10–2025 को 7:00 बजे शांम को प्रार्थी ने जब प्रतीक पाण्डेय से अपने रूपये वापस करने के लिए कहा तो प्रतीक पाण्डेय काफी नाराज हो गया और मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए कहा कि चमार की जाति मादरचोद तुम्हारे जैसे तमाम लोगों का मैंने इस तरह से रूपये ले लिया हूं। अभी तक किसी ने मेरा कुछ नही बिगाड़ पाया है और तुम औकात में रहो नहीं तो तुम्हारे गाड. में कट्टे की नली डाल कर जान से मार दूंगा। विपक्षी प्रतीक पाण्डेय द्वारा दिए गये इस प्रकार की धमकी से प्रार्थी काफी डरा व सहमा हुआ है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.01.2026 को थाना जहांगीरगंज को प्रार्थनापत्र दिया, किन्तु अभी तक विपक्षी प्रतीक पाण्डेय के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थी उक्त घटना के बावत प्रार्थनापत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अम्बेडकर नगर को दिनांक 28–01–2026 को जरिये रजिस्ट्री डाक से दिया किन्तु वहां से कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी मजबूर होकर श्रीमान जी के समक्ष यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विपक्षी प्रतीक पाण्डेय के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु थानाध्यक्ष जहांगीरगंज, जिला अम्बेडकरनगर को आदेशित करने की कृपा की जावे।

3. प्रार्थना पत्र के साथ थाने की आख्या संलग्न है जिसके अनुसार जब जांच किया गया तो ज्ञात हुआ कि विपक्षी द्वारा आवेदक से जमीन दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपये फोन पे के माध्यम से व 30 हजार रुपये नगद ले लेना व न तो आवेदक को जमीन देना व न ही रुपये वापस करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित किया गया है। दौरान जांच आवेदक द्वारा बताया गया कि विपक्षी प्रतीक पाण्डेय द्वारा जमीन दिलाने के नाम पर मेरे से पैसा ले लिया गया और न तो जमीन दिलायी गयी न ही पैसा वापस किया जा रहा है। जांच के क्रम में विपक्षी प्रतीक पाण्डेय

Digitally signed by BHARTENDU PRAKASH GUPTA
Date: 2026.03.12 19:03:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उपरोक्त से वार्ता किया गया तो विपक्षी द्वारा बताया गया कि में एडवोकेट उमाशंकर चतुर्वेदी (तहसील आलापुर) के सानिध्य में रहकर प्रैक्टिस करता हूं। आवेदक के गांव की ही एक विवादित जमीन में मेरे द्वारा वकालत करके काम कराया गया और आवेदक से वकालत की फीस के तौर पर पैसा लिया हूं। मेरे द्वारा आवेदक से जमीन दिलाने के नाम पर पैसा नहीं लिया गया है। आवेदक को अवगत कराया गया कि सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करें। शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत उभय पक्षो के विरुद्ध धारा 126/135 बीएनएसएस की कार्यवाही मुझ उ0नि0 द्वारा दिनांक 18.02.2026 को किया जा चुका है। थाना स्थानीय पर इस सम्बन्ध में कोई भी अभियोग पंजीकृत नही है।

4. प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. को अगर देखा जाए तो आवेदक द्वारा दिनाक 26–05–2025 को जमीन दिलाने के नाम पर मु0–50,000 रूपये फोन पे व लगभग 30,000 रूपये नकद विपक्षी द्वारा लिया जाना व विपक्षी द्वारा न तो जमीन दिलाया गया और न ही प्रार्थी द्वारा दिए गये रूपये ही वापस करना बताया गया है। जब दिनांक 25–10–2025 को 7:00 बजे शांम को प्रार्थी ने विपक्षी से अपने रूपये वापस मांगा तो विपक्षी नाराज हो गया और मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां व जातिसूचक गालियां देते हुए आवेदक को जान से मारने की धमकी देना कहा है। आवेदक के प्रार्थना पत्र के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत न होना कहा गया है। ऐसे इस स्तर पर देखा जाये तो प्रार्थी/आवेदक ने घटना का सम्पूर्ण विवरण एवं दिनांक व स्थान आदि का उल्लेख प्रार्थना पत्र में किया है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी/आवेदक को घटना की सम्पूर्ण जानकारी है, जिसके संबंध में आवेदक स्वयं न्यायालय के समक्ष दोषारोपण के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करके घटना को साबित कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय **जोसेफ माथुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानंद हरिसाक्षी 2001(सप्ली0)ए.सी.सी. पेज–957** तथा माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय **राम बाबू गुप्ता–बनाम–स्टेट आफ यू0पी0 2001(2) जे.आई.सी. पेज–231 (फुल बेंच)** तथा **निर्णय क्रिमिनल मिसलेनियस अपील सं0–9297/2007, सुखवासी–बनाम–स्टेट निर्णय दिनांकित 18.09.07** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि यदि न्यायालय उचित समझती है तो धारा–173(4) बी.एन.एस.एस.के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकती है तथा उस पर प्रसंज्ञान ले सकती है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत मामला परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/आवेदक संजय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाय। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस दिनांक 16.04.2026 को पेश हो। प्रार्थी/आवेदक गवाहान की सूची उक्त दिनांक को प्रस्तुत करें।

दिनांकः–12.03.2026

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी.एस.टी. एक्ट
अम्बेडकरनगर
जे.ओ.कोड–यू.पी.1874